

आज पेशी दिनांक तक लगभग 2.5 वर्ष बाद भी इनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता के निवेदन पर सिर्फ एक ओर अनिष्ट अवसर दिया जाता है। यदि आगामी पेशी दिनांक पर जवाबदावा पेश नहीं किया जाता है तो प्रति. सं. 3/19 का जवाब स्वतः बंद समझा जाएगा।

आगे जवाबदावा प्रति. सं. 3/19 पत्रावली दिनांक 3/6/19 को पेश हो

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

3/6/19

उत्तरपक्ष अधिवक्ता उप.।

प्रतिवादी अधिवक्ता वर  
प्रति. सं. 3/19 कि ओर से जवाबदावा व फार्म नं-3 के साथ ~~दस्तावेज~~ पेश किए गए जो शामिल निसल किए गए ~~आगे~~ आगे कायमी तननीयात पत्रावली दिनांक 3/6/19 को पेश हो

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

13/6/19

न्यायालय सत्र के दौरान बार-बार आवाने साजवारी गई लेकिन उत्तरपक्ष कि ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उक्त वाद को अदालत में अदालत धरती में शारीर किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार धरकर निसल की एक का धरकर दखिल धरकर हो

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) फलोदी